आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण स्तर पर परियोजनाओं का बनाया जाना

878. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय ग्रामीण स्तर पर परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को ग्रामीण स्तर पर बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से सुझाव और विचार आमंत्रित करने हेतु कोई योजना बनायी है ;

(ग) यदि हां, तो उस योजना को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र से राज्यों और राज्यों से जिलों तथा उससे नीचे विकेन्द्रीकरण पर अधिक बल दिए जाने का प्रस्ताव हैं । यह स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोजना के विकेन्द्रीकरण और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति दृष्टिकोण का एक अंग होगा । आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक दलों के साथ परामर्श किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्र में शोध और विकास कार्य का विस्तार

879. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के विभिन्न देशों में औद्योगिक विकास उन देशों की सरकारों द्वारा शोध और विकास के संबंध में की गयी विभिन्न पहलुओं के कारण संभव हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को औद्योगिक क्षेत्र में शोध और विकास कार्य को, जो अब तक बहुत सीमित रहा है, बढ़ाने की आवश्यकता की जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश के औद्योगिक विकास के लिए शोध और विकास संबंधी किसी योजना को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी०के० मेनन) : (क) और (ख) यह पूर्णतः मान्य है कि विश्व के विभिन्न देशों में औद्योगिक विकास सरकार विशेष की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं और साथ ही उद्योग में उद्योग द्वारा अनुसंधान के माध्यम से सहयोजित अनुसंधान तथा विकास के प्रयत्नों के कारण संभव हुआ है । इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा सतत् प्रयत्न किए गए हैं । औद्योगिक सैक्टर में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां सरकार द्वारा निधिबद्ध हैं । उद्योग में उद्योग के द्वारा अनुसंधान तथा विकास भारत में नवीन उद्भावना है तथा धीरे-धीरे विकसित हो रही है । इस संबंध में अब सरकार तथा उद्योग में अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं द्वारा

अधिक पहल की जा रही है। अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालय सेक्टर तथा उद्योग के बीच विभिन्न क्रिया-विधियों के माध्यम से सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए गए हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डी०एस०आइ०आर०) में उद्योग में घरेलू (इन-हाउस) अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों को मान्यता देने की योजना है। वर्तमान समय में डी०एस०आइ० आर० से वैध मान्यता प्राप्त 1200 से अधिक घरेलू (न-हाउस) अनुसंधान तथा विकास इकाइयां उद्योग में हैं। उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें सम्मिलित की प्रौद्योगिक [अनुसंधान तथा विकास में उपलब्धियों को मान्यता स्वरूप पुरस्कार प्रदान करना; स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित एम० आर० टी० पी० कंपनियों सहित उद्योगों को लाइसेंस देने में वरीयता देना; वैज्ञानिक अनुसंधान तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर होने वाले व्यय के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देना; तथा उद्योगों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक रूप से निधिबद्ध अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के बीच संबंधों का सुधार करना।

Proposals from MNCs for software development

880. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposals have recently been received from multinational companies for software development in our country; and

(b) if so, what are the details of such proposals and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (PROF. M. G. K. MENON): (a) and (b) The Government of India announced Policy on Computer Software Export, Software Development and Training in December, 1986. As per the policy: (i) foreign collaboration and/or foreign investment in software development activity for exports and/or domestic market is permitted subject to provisions of FERA; (ii) software development for domestic market is permitted to wholly owned Indian companies and Companies having foreign equity upto 40 per cent; (iii) companies with foreign equity exceeding 40 per cent are permitted only for 100 per cent export projects.

Proposals from seven (7) multinational corporations have been approved for setting up of software units for 100% export projects in EPZ or under 100% Export Oriented Units Scheme or under Software Technology Park Scheme of the Department of Electronics in the last five years.

Amendment of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

881. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposals are under consideration for amending the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the details of amendments under consideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.